राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 195, 196, 197 व 198/2016.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान – मैं0 अग्रवाल आयरन एण्ड बिल्डर्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–सी, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/2017	**एकलपीठ** **श्री नत्थू राम, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त चारों अपीलें मय स्थगन पत्र अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (''जिसे आगे **अपीलीय अधिकारी**'' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 44, 45, 46, 47/2015–16 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 27.10.2015 जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (''जिसे आगे **अधिनियम** कहा जायेगा'') की धारा 82 के अर्न्तगत पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–सी, उदयपुर (''जिसे आगे **निर्धारण अधिकारी** कहा जायेगा'') द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अर्न्तगत वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 व 2014–15 (01.04.2014 से 04.07.2014) के लिए पारित अलग–अलग कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.12.2014 के द्वारा मांग सृजित की गई है। चारों अपीलों का विवरण निम्न प्रकार है :–	

अपील संख्या	अधीनस्थ न्यायालय की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष व आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	योग
195/2016	44/वेट/15–16	2011–12 18.12.2014	183904	69884	367808	621596
196/2016	45/वेट/15–16	2012–13 18.12.2014	124491	32368	248982	405841
197/2016	46/वेट/15–16	2013–14 18.12.2014	87045	12186	174090	273321
198/2016	47/वेट/15–16	2014–15 18.12.2014	44431	1327	88462	134220

अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा शास्ति अपास्त की जाकर शेष कर व ब्याज यथावत रखा है।

अपील को ग्राहयता के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया। अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुई है, अतः अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 195, 196, 197 व 198 / 2016.....जिला.....उदयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02 / 01 / 2017	स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवसायी सीमेंट एवं आयरन का व्यवसाय करता है जिसके द्वारा सीमेंट खरीद कर कम दर पर बेची गई है। सीमेंट Subsidize कीमत पर नही बेची गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने क्रय दर, बिक्री दर से कम होने के कारण अधिक आगत कर अस्वीकार किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी शास्ति को छोड़कर शेष आदेश यथावत रखा है जो कि विधिसम्मत नही है क्योंकि आगत कर देय होना चाहिए था। स्थगन आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने साथ ही माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा की खण्डपीठ द्वारा ऐसे समान प्रकरण अपील संख्या 626–628 / 2016 पास्को मोटर्स उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवचंन उदयपुर में जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.03. 2016 की प्रति प्रस्तुत करते हुए समानता के सिद्धान्त पर स्थगन आदेश देने हेतु निवेदन किया। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(3)(ए) के अन्तर्गत विधिसम्मत है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा माल अधिक मूल्य पर खरीद करने तथा उसे खरीद मूल्य से कम बिक्री मूल्य पर बेचने पर अधिक आगत कर अस्वीकार किया एवं ब्याज व शास्ति आरोपित की। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने शास्ति को छोड़कर शेष आदेश यथावत रखा। निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि उनका प्रकरण धारा 25 व धारा 18(3)(ए) के अन्तर्गत नही आता है। अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होना चाहिए था। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 18(3)(ए) के निम्न प्रकार हैं :– "Notewithstanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, input tax allowable under this section in respect of such goods shall not exceed the output taxpayable on such goods." यह विधिक प्रावधान दिनांक 09.03.2011 से लागू हुआ है तथा उपरोक्त चारों लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 195, 196, 197 व 198/2016.....जिला.....उदयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 3 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/2017	अपीलों में कर निर्धारण वर्ष इसके बाद के हैं जिससे इन अपीलों में यह प्रावधान लागू होता है। प्रथम दृष्टतया अपीलार्थी का अपील में यह आधार अच्छे हेतुक (Good cause of revision) की श्रेणी में नही है कि उनका प्रकरण धारा 18(3)(ए) के अन्तर्गत नही आता है। धारा 25 का बिन्दु विचाराधीन प्रकरण में इस स्तर पर महत्वपूर्ण नही है क्योंकि शास्ति का बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित करते हुए शास्ति अपास्त कर दी है। प्रकरण में निगरानी का अच्छा हेतुक (Good cause of revision) नही है। प्रकरण में विधिक प्रावधान स्पष्ट है जिससे देय कर पर स्थगन आदेश दिये जाने से राज्य पक्ष को विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है जिससे अपूर्णनीय क्षति का मामला भी अपीलार्थी के पक्ष में नही बनता है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 626–628/2016 पास्को मोटर्स उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवचंन उदयपुर का संबंध है, इस न्यायिक दृष्टांत में ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नही किया है जिसे कि इस पर लागू किया जा सके। वैसे भी इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय खण्डपीठ ने स्थगन आदेश देते हुए प्रकरण को एक माह में निस्तारण के आदेश दिये हैं तथा एक माह के लिए स्थगन आदेश देते हुए अस्थाई राहत प्रदान की है जबकि यह प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में है। उपरोक्त के विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दिनांक 23.2.17 को पेश हो। (नत्थूराम) सदस्य	